न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1052 / 2026
राघोपुर (रूस्तमपुर ओ.पी.) थाना कांड सं0–300 / 2023

धारा–379 IPC Act.

02.05.2026 आवेदक बब्लू कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा राघोपुर (रूस्तमपुर ओ.पी.) थाना कांड सं0–300 / 2023 मे दर्ज मुकदमे मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

Web Copy not Official

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचक राजेश कुमार सिंह द्वारा टंकित आवेदन थानाप्रभारी रूस्तमपुर ओ0पी0 को इस आशय का दिया गया कि “हम मे0देवू0एल0एंड0टी0जेवी0, नई छः मार्ग सेतु परियोजन कच्ची दरगाह पटना से बिदुपुर–कल्याणपुर निर्माण कार्य का अधिकारिक संविदाधारी है। आज दिनांक 09.12.2023 को सुबह लगभग 20:30 से 03:00 बजे के बीच कंपनी के पाया नं0 4 पर कुछ अज्ञात लोग लगभग 15–20 की संख्या मे असलहा एवं लाठी डंडे के साथ आये और हमारे सुरक्षा प्रहरी राजेश सिंह जो कि पाया नं0 4 पर कार्यरत थे उसे असलहा दिखाते हुए हाथ एवं पाव बांध कर एवं शोर शराबा न करने एवं जान से मारने की धमकी देते हुए डेरिक क्रैन का कॉपर केबल लगभग 80 मीटर काट कर ले गए। जब पाया नं0 5 का सुरक्षा प्रहरी मुकेश शर्मा गश्ती कर रहे थे तो पाया नं0 4 के पास सुरक्षा प्रहरी राजेश सिंह का हाथ एवं पाव बंधे पाया। इस घटना की लिखित सूचना कंपनी के एडविक सिक्योरिटी एंड एच आर सलूशन के लिए एरिया मैनेजर सर्बजीत कुमार द्वारा दिया गया। पूर्व मे भी पाया नं0 4 का केबल अज्ञात लोगो द्वारा काट लिया गया था वहां पर यह तीसरी घटना है।”

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक के विरूद्ध केवल एक अपराधिक इतिहास है। आवेदक को ग्रामीण विक्कु कुमार द्वारा ग्रामीण दुश्मनी के कारण फसा दिया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है और न ही उसे घटना की जानकारी है। आवेदक चालक है तथा इसी काम से वह अपना जीविकोपार्जन करता है। आवेदक के पास से चोरी का कोई भी

<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1052/2026
राघोपुर (रूस्तमपुर ओ.पी.) थाना कांड सं0–300/2023

समान बरामद नही हुआ है। आवेदक का नाम इस वाद मे सह अभियुक्त विक्कु कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है तथा आवेदक को भय है कि उसे इस वाद मे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये सभी शर्तों एवं आदेशो को पालन करने के लिए आवेदक तैयार है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का नाम सह अभियुक्त की संस्वीकृति बयान के आधार पर शामिल किया गया है और अभियुक्त के पास से कोई भी आपराधिक वस्तु बरामद नही की गयी है। मामले मे अनुसंधान पुर्ण हो चुका है और आरोपित धारा मे सजा 07 वर्ष से कम की है। अतः न्यायिक अभिरक्षा की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि कम से कम एक जमानतदार आवेदक का अपना परिवारिक सदस्य होगा तथा आवेदक आरोप निर्माण तक प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा अन्यथा उसका बंधपत्र स्वतः खंडित हो जायेगा। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा 10,000 (दस हजार) रूपये के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1052/2026
राघोपुर (रूस्तमपुर ओ.पी.) थाना कांड सं0–300/2023

Web copy not official

Date of Judgment/Order	02-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	02-05-2026
Uploading Date	13-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Date of Judgment/Order	02-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	02-05-2026
Uploading Date	-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar